

## **Press Note**

### **Provision for additional additives in various food categories**

Based on the stakeholder's representations FSSAI amended the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 so as to permitting some more additives and prescribing their limits as per CODEX.

FSSAI has invited suggestions and objections within a period of 30 days from the date of publication of the notice. The above regulation will come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2017/कार्तिक 17, 1939

No. 434]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2017/KARTIKA 17, 1939

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2017

फा. सं. 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य/स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016.— खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और ओषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे या [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर मेल किए जा सकेंगे।

ऐसे आक्षेप या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2017 कहा जाएगा।  
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), की परिशिष्ट 'क' में-

1 "I. खाद्य श्रेणी प्रणाली" के अंतर्गत –

(क) खाद्य श्रेणी 1.0 में, -

(i) मद 1.3.2 में, निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

"1.3.2.1 गैर-डेयरी आधारित पेय श्वेतक";

(ii) मद 1.5.1 में, निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्-

"1.5.1.1 डेयरी आधारित डेयरी श्वेतक";

(ख) खाद्य श्रेणी 4.0 में-

(i) उप-मद "4.1.1.3 छिले हुये या कटे हुए ताजे फल" के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी, अर्थात्,-

"4.1.1.3 छिले या कटे अल्पतम प्रसंस्कृत फल";

(ii) उप-मद "4.1.2.6 खाद्य श्रेणी के उत्पादों से इतर फल-आधारित स्प्रेड (जैसे चटनी)" के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी अर्थात्,-

"4.1.2.6 उप-मद 4.1.2.5 के उत्पादों को छोड़कर फल-आधारित स्प्रेड (जैसे चटनी)";

(iii) उप मद "4.2.1.3 छिली हुई, कटी हुई या घिसी हुई ताजा सब्जियाँ (मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, दालों और फलियों, और घृत कुमारी समेत), समुद्री शैवाल, और नट्स तथा बीज" के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद, रखी जाएगी अर्थात्,-

"4.2.3 छिली हुई, कटी हुई अथवा घिसी हुई अल्पतम प्रसंस्कृत सब्जियाँ (मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, ताजा दालों और फलियों, और घृत कुमारी समेत), समुद्री शैवाल, और नट्स तथा बीज";

(ग) खाद्य श्रेणी 11.0 की उप-मद 11.1.5 के पश्चात् निम्नलिखित उप-मद अन्तस्थापित की जाएगी :  
अर्थात्,-

"11.1.6 गुड़

11.1.6.1 गन्ने का गुड़

11.1.6.2 पाम गुड़

11.1.6.3 खजूर का गुड़";

(घ) खाद्य श्रेणी 12.0 की उप-मद "12.2.1 जड़ी-बूटियाँ और मसाले" के स्थान पर निम्नलिखित उप-अन्तस्थापित की जाएगी : अर्थात्,-

"12.2.1 जड़ी-बूटियाँ, मसाले, ओलियोरेजिन या अर्क/उनके व्युत्पन्नोँ समेत मिश्र मसाले";

2. "II. खाद्य श्रेणी विवरण" शीर्षक के नीचे-

(क) खाद्य श्रेणी 1.0 में-

(i) मद "1.1.2 डेयरी-आधारित सुरुचियुक्त और/अथवा किण्वित," के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्,-

"1.1.2 डेयरी आधारित पेय, सुरुचियुक्त तथा/या किण्वित

इसमें कोको मिश्रों (कोको-चीनी मिश्रण, श्रेणी 5.1.1) को छोड़कर सुरुचियुक्त अथवा सुगंधित दूध आधारित तैयार द्रव पेय और उनके मिश्र भी सम्मिलित होंगे। उदाहरणों में गर्म चॉकलेट, चॉकलेट-माल्ट पेय, स्ट्राबेरी-सुरुचियुक्त दही पेय, व्हे-से बना पेय, लैक्टिक एसिड बैटीरिया पेय, और लस्सी (दूध के लैक्टिक एसिड के किण्वन से प्राप्त दही को मथकर तथा शर्करा या कृत्रिम मिठास मिलाकर प्राप्त किया गया तरल) सम्मिलित होंगे।";

(ii) उप-मद 1.3.2.1 को लोप किया जाएगा ;

(iii) उप-मद 1.5.1 के पश्चात निम्नलिखित उप-मद अन्तः स्थापित की जाएगी , अर्थात्-

"1.5.1.1 डेयरी आधारित डेयरी श्वेतक

दूध या दुग्ध प्रोटीन और लैक्टोजयुक्त क्रीम";

(ख) खाद्य श्रेणी 4.0 में-

(i) उप मद-"4.1.1.3 छिले या कटे हुए ताजा फल" के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी अर्थात्,-

"4.1.1.3 छिले अथवा कटे हुए अल्पतम प्रसंस्कृत फल";

(ii) उप मद-"4.1.2.6 खाद्य श्रेणी उत्पादों को छोड़कर फल-आधारित स्प्रेड (जैसे चटनी)" के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी, अर्थात्-

"4.1.2.6 खाद्य श्रेणी 4.1.2.5 के उत्पादों को छोड़कर फल-आधारित स्प्रेड (जैसे चटनी)";

(iii) उप मद "4.2.1.3 छिली हुई, कटी हुई या घिसी हुई ताजा सब्जियाँ (मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, दालों और फलियों, और घृत कुमारी समेत), समुद्री शैवाल, और नट्स तथा बीज" के स्थान पर निम्नलिखित उपमद-रखी जाएगी अर्थात्,-

“4.2.1.3 छिली हुई, कटी हुई या घिसी हुई अल्पतम प्रसंस्कृत सब्जियाँ (मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, ताजा दालों और फलियों, और घृत कुमारी समेत), समुद्री शैवाल, और नट्स तथा बीज”;

(ग) खाद्य श्रेणी 5.0 में-

(i) मद “5.1.4 चॉकलेट विकल्प और उनके उत्पाद” के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्,-

“5.1.4 अनुकृति चॉकलेट, चॉकलेट विकल्प उत्पाद”;

(ii) उप-मद “5.2.1 सख्त कैंडी” के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी, अर्थात्,-

#### **“5.2.1 सख्त कैंडी**

पानी और चीनी (सामान्य घोल), रंग और सुवास से बने और बिना भरे उत्पाद, उनके आहारिय प्रति-उत्पाद, और कोकोयुक्त या रहित उत्पाद। इसमें चूष और टिकिया (वेल्लित, गह्वी और भरी हुई मीठी कैंडी) सम्मिलित हैं। इस प्रकार के उत्पादों का उपयोग खाद्य श्रेणी 5.1.3 और 5.1.4 के अंतर्गत आने वाले चॉकलेट उत्पादों की भराइयों के रूप में किया जा सकता है।”;

(iii) उप-मद “5.2.2 मुलायम कैंडी” के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी, अर्थात्,-

#### **“5.2.2 मुलायम कैंडी**

मुलायम, चबाए जाने वाले उत्पाद जैसे कैरामल (चीनी का घोल, वसा, रंग और सुवासयुक्त) और उनके आहारिय प्रति-उत्पाद; कोको और दूध युक्त अथवा उनसे रहित उत्पाद (जैसे टॉफी और चॉकलेट के सुवास वाले कैरामल); जैली-आधारित कैंडी (जैसे जैली बीन; पेक्टिन, रंग और सुवास से बने शर्करालेपित जैलीयुक्त फल पेस्ट.); और लिकोराइस। इसमें हलवा और स्वीट बीन जैली इत्यादि पूर्वी खाद्य भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार के उत्पादों का उपयोग खाद्य श्रेणी 5.1.3 और 5.1.4 के अंतर्गत चॉकलेट उत्पादों की भराइयों के रूप में किया जा सकता है।”;

(iv) उप-मद “5.2.3 नगेट और मार्जिपैन” के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी अर्थात्,-

#### **“5.2.3 नगेट और मार्जिपैन”**

नगेट में भुनी मूंगफलियाँ, शर्करा और कोको तथा उनके आहारिय प्रति-उत्पाद सम्मिलित हैं, जिनका उनके मूल रूप में उपभोग किया जा सकता है, या खाद्य श्रेणी 5.1.3 और 5.1.4 के अंतर्गत चॉकलेट उत्पादों की भराइयों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मार्जिपैन में बादाम का पेस्ट और शर्करा और उनके आहारिय प्रति-उत्पाद सम्मिलित हैं, जो सीधे उपभोग के लिए किसी आकृति में ढले व रंजित हो सकते हैं, या

जिनका उपयोग खाद्य श्रेणी 5.1.3 और 5.1.4 के अंतर्गत चॉकलेट उत्पादों की भराइयों के रूप में किया जा सकता है।”;

“ (घ) खाद्य श्रेणी 11.0 में प्लांटेशन या मिलश्वेत शर्करा से संबंधित उप-मद 11.1.5 के पश्चात ” निम्नलिखित उप-मद अन्तकी जाएगी स्थापित :, अर्थात्,-

“**11.1.6 गुड़:** गन्ने को पेरकर या पामिरा पाम, डेट पाम अथवा कोकोनट पाम से निष्कर्षित रस को उबालकर अथवा प्रसंस्कृत करके बनाया गया उत्पाद।

**11.1.6.1 गन्ने का गुड़:** गन्ने को पेरकर या उसके निष्कर्षण से प्राप्त रस को उबालकर अथवा प्रसंस्कृत करके बनाया गया उत्पाद।

**11.1.6.2 पाम गुड़:** पामिरा पाम या कोकोनट पाम को पेरकर या उसके निष्कर्षण से प्राप्त रस को उबालकर अथवा प्रसंस्कृत करके बनाया गया उत्पाद।

**11.1.6.3 खजूर का गुड़:** खजूर पाम को पेरकर या उसके निष्कर्षण से प्राप्त रस को उबालकर या प्रसंस्कृत करके बनाया गया उत्पाद।”

(ङ) खाद्य श्रेणी 12.0 में-

(i) “जड़ी-बूटियाँ, मसाले और सीजनिंग, और कंडीमेंट” से संबंधित उप खाद्य श्रेणी 12.2 के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी अर्थात्,-

**“12.2 जड़ी-बूटियाँ, स्पाइस, सीजनिंग, और कंडीमेंट**

स्पाइस से किसी भी प्रकार का स्पाइस अभिप्रेत है, जिसमें करी पाउडर, स्पाइस तेल, ओलियोरेजिन और अन्य मिश्रण सम्मिलित हैं, जिनमें स्पाइस की मात्रा अधिक होती है।”;

(ii) “जड़ी-बूटियाँ और मसालेयुक्त स्पाइस” से संबंधित उप खाद्य शीर्षक 12.2.1 के स्थान पर निम्नलिखित मद शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्,-

“12.2.1 जड़ी-बूटियाँ, स्पाइसिस, मसाले, स्पाइस मिषण जिसके अंतर्गत ओलियोरेजिन या उनके अर्क/व्युत्पन्नो भी है।”;

(च) खाद्य श्रेणी 15.0 में-

(i) “स्नैक्स- आलू, अनाज, आटा अथवा स्टार्च (जड़ों और कंदों, दालों और फलियों से) आधारित” से संबंधित उप खाद्य श्रेणी 15.1 में “परंतु फीके क्रैकर (श्रेणी 7.1.2) यथा आलू चिप्स सम्मिलित नहीं हैं ” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर आँकड़ों की जगह निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात्-

“किंतु फीके क्रैकर (श्रेणी 7.1.2) जैसे आलू चिप्स से अपवर्जित किया गया है।”;

(ii) “प्रसंस्कृत नट सहित कोटेड नट और नट मिषण” से संबंधित उप खाद्य श्रेणी 15.2 में ‘चॉकलेट से ढके नट को 5.1.4 में वर्गीकृत किया गया है, और अनुकृत

चॉकलेट से कवर्ड वाले नट्स 5.1.5 में शामिल किए गए हैं' शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-

“चॉकलेट की कोटिंग वाले मेवों का वर्गीकरण 5.1.3 में किया गया है, और नकली चॉकलेट की कोटिंग वाले नट्स 5.1.4 में सम्मिलित किए गए हैं।”;

(3) “IV खाद्य उत्पादों में खाद्य सहयोज्यों का उपयोग” शीर्षक के अधीन-

**(क) सारणी 1 के, स्तंभ (1) में,-**

(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली 1.5.2 के स्तंभ (6) में खाद्य सहयोज्य फॉस्फेट के सामने “88, 36” प्रविष्टियों के स्थान पर “88, 33” प्रविष्टियाँ रखी जाएगी।

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 1.6.2.1, के स्तंभ (6) में, में खाद्य सहयोज्य हेक्सा मिथाइलीन टेट्रा माइन के सामने स्तंभ (6) में “66, 298” प्रविष्टि रखी जाएगी।

(iii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 1.8.2 के स्तंभ (2) में “शुष्कित छेना और छेना उत्पाद छेना चीज, छेना पाउडर को छोड़कर” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्,-

“शुष्कित छेना और छेना उत्पाद, छेना चीज को छोड़कर”;

**(ख) सारणी 2, के स्तंभ (1) में,-**

(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली 2.2.2 के स्तंभ (3) में खाद्य सहयोज्य थियोडिप्रोपियोनेट और स्तंभ (3), (4), (5) और (6) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

“सूक्रोजओलिगाएस्टर, टाइप I और टाइप II	473क	10,000 मिग्रा/किग्रा.	348, 360
वसीय अम्लों के सूक्रोज ईस्टर	473	10,000 मिग्रा/किग्रा.	348, 360”;

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 2.3 के स्तंभ (3) में खाद्य सहयोज्य सोर्बेट और स्तंभ (3), (4), (5) और (6) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

वसीय अम्लों के पोलिग्लिसरॉल ईस्टर	475	20,000 मिग्रा/किग्रा.	363
प्रोपीलीन ग्लाइकोल एल्जीनेट	405	3,000 मिग्रा/किग्रा.	
स्टीरोइल लैक्टिलेट		3,000 मिग्रा/किग्रा.	
वसीय अम्लों के सोर्बीटन ईस्टर		5,000 मिग्रा/किग्रा.	363”;

(ग) सारणी 3, के स्तंभ (1) में,- खाद्य श्रेणी प्रणाली 3.0 में खाद्य सहयोज्य “वसीय अम्लों के प्रोपीलीनग्लाइकोल ईस्टर” के सामने स्तंभ (5) में “5,000 मिग्रा/किग्रा” अन्तः स्थापित की जाएगी।

(घ) सारणी 4, के स्तंभ (1) में, -

(i) खाद्य प्रवर्ग प्रणाली 4.1.13 में-

(अ) स्तंभ (2) में “छिले या कटे ताजा फल” प्रविष्टि के स्थान पर “छिले या कटे अल्पतम प्रसंस्कृत फल” प्रविष्टि रखी जाएगी।

(आ) स्तंभ (3) में, “कैल्शियम कार्बोनेट” खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी,-

“सिट्रिक एसिड	330	जीएमपी	
एस्कोर्बिक एसिड	300	जीएमपी”;	

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 4.1.2.8 के स्तंभ (3) में खाद्य सहयोज्य सनसेट येलो एफसीएफ और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

“वसीय अम्लों के सोर्बिटन ईस्टर		5,000 मिग्रा/किग्रा.	XS314आर , XS240”;
--------------------------------	--	----------------------	----------------------

(iii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 4.2.1.3 में-

(अ) स्तंभ 2 में “छिले हुए या कटा हुआ ताजा सब्जियाँ (मशरूम और कवक, जड़ और कंद, दाढ़े और दाल , और एलोवेरा), समुद्री बीड, और नट्स और बीज” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्,-

“छिली हुई, कटी हुई या घिसी हुई अल्पतम प्रसंस्कृत सब्जियाँ (जिसके अंतर्गत मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, ताजा दालों और फलियां, और एलोवेरा भी है), समुद्री शैवाल, नट्स और बीज”;

(आ) खाद्य सहयोज्य “कैल्शियम कार्बोनेट” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाएगी : , अर्थात्,-

“सिट्रिक अम्ल	330	जीएमपी	
एस्कोर्बिक एसिड	300	जीएमपी	



कैल्शियम एस्कोर्बेट	302	जीएमपी	
पोटाशियम कार्बोनेट	501	जीएमपी”;	

(iv) खाद्य श्रेणी प्रणाली 4.2.2.3 के स्तभ(3) में खाद्य सहयोज्य सल्फाइट्स और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टिया अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

“फेरस ग्लुकोनेट	579	150 मिग्रा/किग्रा.	4823
फेरस लैक्टेट	585	150 मिग्रा/किग्रा.	4823

**( ड ) सारणी 5 के स्तभ (1) में,-**

(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली 5.1 के स्तभ (2) में एनालाग और चॉकलेट के विकल्प सहित कोकोआ उत्पाद और चॉकलेट उत्पाद प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात्,-

“कोको उत्पाद और चॉकलेट उत्पाद जिसके अंतर्गत अनुकृत चॉकलेट और चॉकलेट प्रतिस्थायी उत्पाद”;

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 5.1.1 के स्तभ (3) में खाद्य सहयोज्य “L- टरटेरिक एसिड” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

“वसीय अम्लों के पोलिग्लिसरोल ईस्टर	475	5,000 मिग्रा/किग्रा.	XS141, 97
अंतःईस्ट्रीकृत राइसीनोलीक एसिड के पोलिग्लिसरोल ईस्टर	476	5,000 मिग्रा/किग्रा.	XS141, 97
वसीय अम्लों के सोर्बिटान ईस्टर		2,000 मिग्रा/किग्रा.	XS141, 97, 123”;

(iii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 5.1.2 के स्तभ (3) में खाद्य सहयोज्य “सूक्रालोज (ट्राइक्लोरोगैलेक्टोसूक्रोज)” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

“टारट्रेट		2,000 मिग्रा/किग्रा.	45
टोकोफेरॉल		500 मिग्रा/किग्रा.	15”;

(iv) खाद्य श्रेणी प्रणाली 5.1.3 में,-

(अ) स्तभ (3), खाद्य सहयोज्य “अंगूर छाल अर्क” और संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य उससे संबन्धित प्रविष्टियों

“इंडिगोटिन (इंडिगो कार्माइन्)	132	200 मिग्रा/किग्रा”	
-------------------------------	-----	--------------------	--

का लोप किया जाएगा

(आ) स्तभ (6) में खाद्य सहयोज्य "टीबीएचक्यू" के सामने "15,130,141" अन्तः स्थापित की जाएगी।

(इ) स्तभ (3), खाद्य सहयोज्य "सेलेक ब्लिचड" और संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों

"पोलिग्लिसरोल पोलिराइसनिओलियेट	476	5 मिग्रा/किग्रा	
--------------------------------	-----	-----------------	--

का लोप किया जाएगा

(ई) स्तभ (3), खाद्य सहयोज्य "सनसेट येलो एफ़सीएफ़" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों

"टैरटैरी ब्यूटिलहाइड्रोकिनोन (टीबीएचक्यू)	319	जीएमपी	15,130,141"
---	-----	--------	-------------

का लोप किया जाएगा

(उ) स्तभ (3), खाद्य सहयोज्य "फेट्टी एसिड के पॉली ग्लिसरॉल एस्टर्स और इंटरस्टेरीफाइड पॉलीराइसिनोलिएट के पॉलीग्लिसरॉल एस्टर्स" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्-

"अंतःईस्ट्रीकृत राइसीनोलीक एसिड के पोलिग्लिसरोल ईस्टर	476	5 मिग्रा/किग्रा	101";
---	-----	-----------------	-------

(ऊ) स्तभ (3), खाद्य सहयोज्य "एल- टार्टेरीक एसिड" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्-

एरंड तेल	1503	350 मिग्रा/किग्रा	
ट्रोकोफेरोल		750 मिग्रा/किग्रा	15,168";

(iv) खाद्य श्रेणी प्रणाली 5.1.4 में-

(अ) स्तभ (2) में "चॉकलेट विकल्पी और उनके उत्पाद" प्रविष्टि के स्थान पर "अनुकृत चॉकलेट, चॉकलेट विकल्पी उत्पाद" रखी जाएगी।

(आ) स्तभ (3) में,-

(आ°अ) खाद्य सहयोज्य "बेंजोएट्स" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का

"बीसवैक्स	901	जीएमपी	3"
-----------	-----	--------	----

का लोप किया जाएगा

(आ०आ) "पॉली ग्लाइकोल पॉली रेजीनिओलेट" प्रविष्टि के स्थान पर "अंतःईस्ट्रीकृत राइसिनोलीक एसिड के पोलिग्लिसरोल ईस्टर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(आ इ) खाद्य सहयोज्य "सेफ्रोन" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात क्रमशः निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

"पोलिडाइमिटाइल- साइलोकसेन	900क	10 मिग्रा/किग्रा	
वसीय अम्लों के पोलिग्लिसरोल ईस्टर	475	2,000 मिग्रा/किग्रा	366
सूक्रोग्लिसराइड	474	6,000 मिग्रा/किग्रा	348
सूक्रोज ओलिगोईस्टर, टाइप-I और टाइप-II	473क	6,000 मिग्रा/किग्रा	348
वसीय अम्लों के सूक्रोज ईस्टर	473	6,000 मिग्रा/किग्रा	348
टारट्रेट		5,000 मिग्रा/किग्रा	45
टोकोफेरोल		500 मिग्रा/किग्रा	15";

(v) खाद्य श्रेणी प्रणाली 5.2, के स्तम्भ (3) में-

(अ) खाद्य सहयोज्य "सल्फर डाईऑक्साइड" और संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियाँ

"इंडिगोटिन (इंडिगो कार्माइन)	132	100 मिग्रा/किग्रा";	
------------------------------	-----	---------------------	--

का लोप किया जाएगा

(आ) खाद्य सहयोज्य "खनिज तेल, उच्च श्यानता" और संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

'सेलेक, ब्लिचड	904	जीएमपी	3
सूक्रोज ओलिगोईस्टर, टाइप-I और टाइप-II	473क	5,000 मिग्रा/किग्रा	348
वसीय अम्लों के सूक्रोज ईस्टर	473	5,000 मिग्रा/किग्रा	348";

(vi) 5.2.1 खाद्य श्रेणी वर्ग व्यवस्था में खाद्य सहयोज्य "एल- टैट्रिक एसिड" और संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्न लिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित : की जाएंगी:-

"अन्तर्निर्मित राइसिनोलीक एसिड के पॉलीग्लिसरोल एस्टर	476	3000 मिग्रा/किग्रा";	
--	-----	----------------------	--

(vii) 5.2.2 खाद्य श्रेणी वर्ग व्यवस्था में, खाद्य सहयोज्य चपड़ा प्रक्षालित और प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तस्थापित : की जाएंगी अर्थात्:-

“इंटरसाइस्टीड राइसिनोलिक एसिड के पॉलीग्लिसराइल एस्टर	476	3000 मिग्रा/किग्रा”;
--	-----	----------------------

(viii) 5.4 खाद्य श्रेणी वर्ग व्यवस्था में, खाद्य सहयोज्य खनिज तेल में उच्च चिपचिपाहट और स्तंभों (3), (4), (5) और (6) में प्रविष्टियों के पश्चात, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“अलूरा लाल	129	100 मिग्रा/किग्रा	
अंगूर के छिलके	163(ii)	500 मिग्रा/किग्रा	181
खनिज तेल, मध्यम चिपचिपाहट	905e	2,000 मिग्रा/किग्रा	XS 86, XS 105, 3, XS 141, XS 87
फैटी एसिड की पॉली ग्लिसरॉल एस्टर	475	2,000 मिग्रा/किग्रा	368
राइसिनोलिक एसिड के पॉलीग्लिसराल एस्टर	476	5,000 मिग्रा/किग्रा	
प्रोपीलीन ग्लाइकॉल एलानेट	405	5,000 मिग्रा/किग्रा	
पेटी एसिड के सॉर्बिटान ईस्टर्स		10,000 मिग्रा/किग्रा	
स्टीयरोइल लैक्टिलाइट्स		2,000 मिग्रा/किग्रा	
सुक्रोग्लिसराइड	474	5,000 मिग्रा/किग्रा	348
सुक्रोज ऑलोगेस्टर्स, टाइप I और टाइप II	473a	5,000 मिग्रा/किग्रा	348
फैटी एसिड के सुक्रोज एस्टर	473	5,000 मिग्रा/किग्रा	348

टाट्रेड्स		8,000 मिग्रा/किग्रा	45
टोकोफेरल्स		500 मिग्रा/किग्रा	15”;

(च) सारणी 6, के स्तभ (1) में,-

(i) 6.3 खाद्य श्रेणी व्यवस्था में, खाद्य सहयोज्य सनसेट येलो एफसीएफ और स्तंभों (3), स्तंभ (4), स्तंभ (5) और स्तंभ (6) में की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियां क्रमशः अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“टोकोफेरल्स		<b>200 मिग्रा/किग्रा”;</b>
-------------	--	----------------------------

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली में 6.5, के स्तंभ (4) में की खाद्य सहयोज्य फास्ट ग्रीन एफसीएफ के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "143" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(iii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 6.6 के, स्तंभ (5) में, भोजन के लिए सहयोज्य "टार्टेरीक एसिड" के सामने आने वाली प्रविष्टि "जीएमपी" प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी;

(छ) सारणी 7, के स्तंभ (1) में-

(i) खाद्य वर्गीकरण प्रणाली में 7.1.4, के स्तंभ (6) में, सामने आने प्रविष्टियों के स्थान पर खाद्य सहयोज्य "फॉस्फेट्स" के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर "229, 33" को रखी जाएगी;

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 7.2.1 में, सहयोज्य पोटेशियम आयोडेट और उससे संबन्धित स्तंभ (3), स्तंभ (4), स्तंभ (5) और स्तंभ (6) में की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां पश्चात अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“स्टीयरोइल लैक्टिलाइट्स		<b>5,000 मिग्रा/किग्रा</b>	
	<b>475</b>	<b>10,000 मिग्रा/किग्रा</b>	
फैटी एसिड के पॉलीग्लिसराल एस्टर			
पेटी एसिड के सॉर्विटान ईस्टर्स		<b>10,000 मिग्रा/किग्रा</b>	
नाइसिन	<b>234</b>	<b>6 मिग्रा/किग्रा</b>	<b>233</b>
पोलिऑक्सिथलीन स्टीयरेट्स		<b>3,000 मिग्रा/किग्रा</b>	
	<b>1520</b>	<b>1,500 मिग्रा/किग्रा</b>	
प्रोपलीन ग्लाइकोल			
सुक्रोज ऑलोगेस्टर्स, टाइप I और टाइप II	<b>473a</b>	<b>10,000 मिग्रा/किग्रा</b>	<b>348</b>
पोसेऊ 4 आर	<b>124</b>	<b>50 मिग्रा/किग्रा</b>	
सनसेट येलो एफसीएफ	<b>110</b>	<b>50 मिग्रा/किग्रा”;</b>	

(ज) सारणी 8, के स्तभ (1) में,-

(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली 8.2.2 के स्तभ (3) में सहयोज्य "सुक्रोग्लिसराइड" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"टोकोफेरोल्स		500 मिग्रा/किग्रा	XS 96, XS 97";
--------------	--	-------------------	----------------

(iii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 8.2.3 में, खाद्य पदार्थ श्रेणी जमे हुए प्रसंस्कृत मांस, पोल्ट्री, शिकार का माँस और उससे बने पूर्ण भाग या टुकड़ों के उत्पाद के सामने स्तंभों (3), स्तभ (4), स्तभ (5) और स्तभ (6) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्: -

"खनिज तेल, उच्च चिपचिपापन	905डी	950 मिग्रा/किग्रा	3
फॉस्फेट		2,200 मिग्रा/किग्रा	33";

(iii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 8.2.3 के पश्चात, निम्नलिखित खाद्य श्रेणी प्रणाली और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्- :

खाद्य श्रेणी प्रणाली (1)	खाद्य वर्ग का नाम (2)	खाद्य सहयोज्य (3)	आईएनएस सं. (4)	अनुशंसित अधिकतम स्तर (5)	टिप्पणी (6)
8.3	प्रसंस्कृत विखण्डित मांस और पोल्ट्री उत्पाद	ब्रिलियंट ब्लू एफसीएफ	133	100 मिग्रा/किग्रा	XS96, XS89, XS98, XS97, 4, 16
		ब्यूटीलाटेड हाइड्रॉक्सीजनोल (बीएचए)	320	200मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98, 130, 15
		ब्यूटीलाटेड हाइड्रॉक्सीटाइलिन (बीएचटी)	321	100मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98, 15, 130, 162
		कारमेल III - अमोनिया कारमेल	150c	GMP	XS89, XS98

					XS96, XS97, 3, 4, 16
		कारमेल IV - सल्फाइड अमोनिया कारमेल	150d	GMP	XS89, XS98, XS96, XS97, 3, 4, 16
		इरीथ्रोसिन	127	30 मिग्रा/किग्रा	4, 290
		अंगूर के छिलके	163(ii)	5,000 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98, 16
		नाइट्राइट्स		80 मिग्रा/किग्रा	286, 32
		पेप्रिका ओलेरेसिन	160c(i)	GMP	
		<b>फास्फेट्स</b>		2,200 मिग्रा/किग्रा	33, 302
		पोलीसोर्बेट्स		5,000 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98
		रिबोफ्लाविंस		1,000 मिग्रा/किग्रा	XS96, XS97, 16
		प्रोपील गैलेट	310	200 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98, 15, 130
		प्रोपीलीन ग्लाइकॉल एल्गनेट	405	3,000 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98
		<b>सोरबेट्स</b>		1,500 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98, 42

		सोडियम डाइसेटेट	262(ii)	1,000 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98
		<b>टोकोफेरोल्स</b>		500 मिग्रा/किग्रा	XS 89, XS 98
		तृतीयक ब्युटिलहाइड्रोक्विनोन (टीबीएचक्यू)	319	100 मिग्रा/किग्रा	XS 89, XS 98, 15, 130, 162";

(iv) **खाद्य श्रेणी प्रणाली 8.3.2 में,-**

(अ) स्तभ (4) में बीटा कैरोटीन, सब्जियों के सामने की प्रविष्टि "160 a(ii)"के स्थान पर, "160" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(आ) स्तभ (3) में खाद्य सहयोज्य सनसेट येले एफसीएफ के पश्चात निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

<b>"टोकोफैरोल्य</b>		500 मिग्रा/किग्रा	XS 89 , XS 98";
---------------------	--	-------------------	-----------------

(झ) सारणी 9 के स्तभ (1) में,-

(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली 9.2.5 के स्तभ (5) में, खाद्य सहयोज्य सॉब्रेट्स के सामने "1000 मिग्रा / किग्रा" प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी;

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 9.3.3 के स्तंभ (4) में, खाद्य योजक "पॉन्सेउ 4 आर" के सामने "124" प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी;

(ज) सारणी 10, के स्तभ (1) में,-

(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली में 10.2.1 के स्तभ (3) में की खाद्य सहयोज्य "टेरा गम" के पश्चात आने वाली भोजन योजक ट्रायथिल साइट्रेट और स्तंभों (3), स्तभ (4), स्तभ (5) और स्तभ (6) में तत्स्थानी प्रविष्टियों।

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली में 10.2.2, के स्तंभ (3), में खाद्य सहयोज्य के "एथिलीन डाएमाइन टेट्रा ऐसीटेट" के पश्चात आने वाले खाद्य सहयोज्य "सोरबेट्स और उसके तत्स्थानी स्तभ (4), (5) और (6) में की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(iii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 10.4 के स्तंभ (4) में, खाद्य सहयोज्य कारमेल III- अमोनिया कारमेल के सामने आने वाली प्रविष्टि "150 डी" के स्थान पर "150 सी" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ट) सारणी 11, के स्तभ (1) में,-



(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली के लिए 11.1.6, के स्थान पर निम्नलिखित खाद्य श्रेणी प्रणाली रखी जाएगी अर्थात्- :

<b>*11.1.6</b>	<b>गुठ</b>	सल्फेट	50मिग्रा/किग्रा	अंतिम उत्पाद में 50 मिग्रा / किग्रा से अधिक अवशेष नहीं होने चाहिए";
----------------	------------	--------	-----------------	---

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 11.1.6 के पश्चात, निम्नलिखित खाद्य श्रेणी प्रणाली अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

<b>"खाद्य श्रेणी प्रणाली (1)</b>	<b>खाद्य वर्ग का नमा (2)</b>	<b>खाद्य सहयोज्य (3)</b>	<b>आईएनएस सं. (4)</b>	<b>अनुशंसित अधिकतम स्तर (5)</b>	<b>टिप्पणी (6)</b>
<b>11.1.6.1</b>	<b>गन्ने से बना गुठ</b>				
<b>11.1.6.2</b>	<b>ताड़ से बना गुठ</b>				
<b>11.1.6.3</b>	<b>खजूर से बना गुठ</b>				";

(ठ) सारणी 12, के स्तभ (1) में,-

(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली में 12.2.1, के स्तभ (2) में जड़ी बूटी के लिए स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, जड़ी-बूटियाँ और मसालो सहित के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्- :

बूटियाँ, मसालों, मसाला मिश्रण, जिसमें ओलेरेसिन्स या उसके अर्क व्युत्पत्तियां सम्मिलित है।

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 12.2.2 के स्तभ (3) में, खाद्य सहयोज्य टाट्रिक एसिड उसके और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्- :

"कारमेल IV-सल्फेट अमोनिया कारमेल	150d	10,000 मिग्रा/किग्रा
पिपिका ओलेरेसिन	160c(i)	GMP

(ड) सारणी 14 के स्तभ (1) में,-

(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली में 14.1.2.3, के स्तभ (3) में खाद्य सहयोज्य "नाइट्रोजन" के पश्चात खाद्य सहयोज्य "कार्बन डाइऑक्साइड" और स्तंभ (4), (5) और (6) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 14.1.3.2 के स्तभ (3) में खाद्य सहयोज्य "कैरामेल" के पश्चात खाद्य सहयोज्य "कूर्कमिन" और स्तंभ (4), (5) और (6) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(iii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 14.1.4.2 के स्तभ (3) में खाद्य सहयोज्य "कैल्सियम एल्बानेट" के पश्चात खाद्य सहयोज्य "एल-टैटरिक एसिड" और कॉलम (4), (5) और (6) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

3. उक्त विनियमों की परिशिष्ट 1 में, सहयोज्य 'एथिलेन्स डायथेनाइन टेट्रा एसीटेट' के सहयोज्य समूह और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित सहयोज्य समूह और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी।

समूह का नाम	सहयोज्य का नाम	आईएनएस सं
"पेटी एसिड के सॉर्बिटान ईस्टर्स	सोरबिटन मोनोलोरेट	493
	सोरबिटन मोनोलेएट	494
	सोरबिटन मोनोपेलमिनेट	495
	सोरबिटन मोनोस्ट्रेट	491
	सोरबिटन ट्राईस्ट्रेट	492";

4. उक्त विनियमों में, सारणी 1 से 15 में उल्लिखित खाद्य सहयोज्य के टिप्पणी में टिप्पण संख्याक x टी 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी।

क) XS314R: खजूर के पेस्ट के मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों को छोड़कर।

ख) XS240: जलीय नारियल उत्पाद के मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों को छोड़कर।

ग) XS141: कोको कोकोआ मास (कोका/चॉकलेट लीकर) और कोको केक के मानकों का अनुपालन (काकोआ) करने वाले उत्पादों को छोड़कर

घ) 348: एकात्मक या संयोजन के रूप में: फेटी एसिड के सुक्रोज एस्टर (473 आईएनएस), सोक्रोस ऑलगेजेस्टर्स, टाइप और टाइप II (आईएनएस 473ए) और (सुक्रोग्लूकोस 474 आईएनएस)

ड) XS 86: कोको मक्खन के मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों को छोड़कर

च) XS 105: कोको पाउडर (कोकोआ) और कोको और शुगर्स का सूखा मिश्रण के मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों को छोड़कर

छ) XS 87: चॉकलेट तथा चॉकलेट उत्पादों के मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों को छोड़कर";

5. उक्त विनियमों में की जीएमपी सारणी की परिशिष्ट में की

(क) क्रम संख्या 22 में प्रविष्टी में, "छिले हुए या कटे हुए ताजे फल" के स्थान पर खाद्य श्रेणी संख्या 4.1.1.3 के सामने छिले हुए या कटे हुए ताजे फल के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी।

**"छिले या कटे हुए निम्नतम प्रसंकृत फल";**

(ख) क्रम संख्या 26 में प्रविष्टी में, खाद्य श्रेणी संख्या 4.2.1.3 के सामने स्तभ (3) में "छिला हुए या कटे हुई ताजी सब्जियां (मशरूम और कवक, जड़ और कंद, दाल और फलियां, और मुसब्बर, ग्वारपाटा), समुद्री शैवाल, और नट और बीज" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी

“छिले हुई, कटी हुई या कम से कम प्रसंकृत सब्जियां (मशरूम और कवक, जड़ और कंद, ताजे दालों और फलियां, और मुसब्बर, ग्वारपाठा सहित) समुद्र शैवाल, नट और बीज”);

(ग) क्रम संख्या 60 तथा उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित श्रेणियां अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात:-

60A	11.1.6	गुठ
60B	11.1.6.1	गन्ने से बना हुआ गुठ
60C	11.1.6.2	ताड से बना हुआ गुठ
60D	11.1.6.3	खजूर से बना हुआ गुठ

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन- III/4/असा./303/17]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किये गए और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्यको द्वारा संशोधित किए गए थे:—

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा. सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) फा. सं. 1-83एफ/एससीआई° पीएएन-अधि°/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा. सं.पी°15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा. सं.पी.15025/261-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (x) फा. सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा. सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xii) फा. सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- (xiii) फा. सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोग्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- (xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
- (xv) फा. सं° 3-14 एफ/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई – 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;
- (xvi) फा. सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;
- (xvii) फा. सं.1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;

- (xviii) एफ. सं. 11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितंबर, 2016;
- (xix) फा. सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;
- (xx) फा. सं.11/12विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- (xxi) एफ सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- (xxii) फा. सं. मानक/एसपी(जल और पेय)/अधि (2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्टूबर, 2016;
- (xxiii) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;
- (xxiv) फा. सं पी./15025/93/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;
- (xxv) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफएस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;
- (xxvi) फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;
- (xxvii) फा. सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- (xxviii) फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- (xxix) फा. सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;
- (xxx) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून 2017।
- (xxxi) फा. सं. 1/मानक14.2 अधिसूचना/ एफएसएसएआई/2016, तारीख 31 जुलाई,2017;
- (xxxii) फा. सं. मानक/एफएवंवीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017;
- (xxxiii) फा. सं. 1-94(1)/एफएसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;
- (xxxiv) फा.सं. मानक/एम. एंड एम. पी. आई. पी. (1)/एस. पी./ एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- (xxxv) फा. सं मानक/एसपी (पानी एवं पेय)/अधि. (1)/एफएसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- (xxxvi) फा.सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछली और मछली उत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- (xxxvii) फा.सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/एफ एस एस ऐ आई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;
- (xxxviii) फा.सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017 और
- (xxxix) फा.सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 12 अक्टूबर, 2017।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA )

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th November , 2017

**F. No. 1/Additional Additives/Std/Notification/FSSAI/2016.**—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in).

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

#### DRAFT REGULATIONS

1. **Short title and commencement-**(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as the said regulation), in Appendix A,-

(1) under heading “I. FOOD CATEGORY SYSTEM”,-

(a) in food category 1.0,-

(i) in item 1.3.2, the following sub- item shall be inserted, namely:-

“1.3.2.1 **Non - dairy based beverage whitener**”;

(ii) in item 1.5.1, the following sub-item shall be inserted, namely:-

“1.5.1.1 **Dairy based dairy whitener**”;

(b) in food category 4.0,-

(i) for sub-item “4.1.1.3 Peeled or cut fresh fruit”, the following sub-item shall be substituted, namely:-

“4.1.1.3 **Peeled or cut, minimally processed fruit**”;

(ii) for sub-item “4.1.2.6 Fruit-based spreads (eg. chutney) excluding products of food category”, the following sub-item shall be substituted, namely:-

“4.1.2.6 Fruit-based spreads (e.g. chutney) excluding products of sub-item 4.1.2.5”;

(iii) for sub-item “4.2.1.3 Peeled, cut or shredded fresh vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds”, the following sub-item shall be substituted, namely:-

“4.2.1.3 Peeled, cut or shredded minimally processed vegetables [(including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera) sea weeds, nuts and seeds]”;

(c) in food category 11.0, after sub-item 11.1.5, the following sub-item shall be inserted, namely:-

“11.1.6 Gur or Jaggery

11.1.6.1 Cane Jaggery/Gur

11.1.6.2 Palm Jaggery/Gur

11.1.6.3 Date Jaggery/Gur”;

(d) in food category 12.0, for sub-item “12.2.1 Herbs, spices including masalas”, the following sub-item shall be substituted, namely:-

“12.2.1 Herbs, spices, masalas, spice mixtures including oleoresins or extracts/derivatives thereof”;

(2) under heading “II. FOOD CATEGORY DESCRIPTIONS,”-

(a) in food category 1.0,-

(i) for item “1.1.2 Dairy-based drinks, flavoured and/or fermented” the following item shall be substituted, namely:-

“1.1.2 Dairy-based drinks, flavoured and/or fermented

Includes all ready-to-drink flavoured and aromatized milk-based fluid beverages and their mixes, excluding mixes for cocoa (cocoa-sugar mixtures, category 5.1.1). Example includes hot chocolate, chocolate malt drinks, strawberry-flavoured yoghurt drink, whey based drinks, lactic acid bacteria drinks, and lassi (liquid obtained by whipping curd from the lactic acid fermentation of milk, and mixing with sugar or synthetic sweetener)”;

(ii) sub-item 1.3.2.1 shall be omitted;

(iii) in item 1.5.1, the following sub-item shall be inserted, namely:-

“1.5.1.1 Dairy based dairy whitener

Milk or cream constituting of milk protein and lactose”;

(b) in food category 4.0,-

(i) for sub-item “4.1.1.3 Peeled or cut fresh fruit”, the following sub-item shall be substituted, namely:-

“4.1.1.3 Peeled or cut, minimally processed fruit”;

(ii) for sub-item “4.1.2.6 Fruit-based spreads (e.g. chutney) excluding products of food category”, the following sub-item shall be substituted, namely:-

“4.1.2.6 Fruit-based spreads (e.g. chutney) excluding products of food category 4.1.2.5”;

(iii) for sub-item “4.2.1.3 Peeled, cut or shredded fresh vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds”, the following sub-item shall be substituted, namely:-

“4.2.1.3 Peeled, cut or shredded minimally processed vegetables [(including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera) sea weeds, nuts and seeds]”;

(c) in food category 5.0,-

(i) for item “5.1.4 Chocolate substitute and their products”, the following item shall be substituted, namely:-

“5.1.4 **Imitation chocolate, chocolate substitute products**”;

(ii) for item “5.2.1 Hard Candy”, the following item shall be substituted, namely:-

“**5.2.1 Hard candy**

Products made from water and sugar (simple syrup), colour and flavour that may or may not have a filling, their dietetic counterparts, and products that may or may not contain cocoa. Includes: pastilles and lozenges (rolled, shaped and filled sweetened candy). These types of products may be used as fillings for chocolate products within the scope of food categories 5.1.3 and 5.1.4.”;

(iii) for item “5.2.2 Soft candy”, the following item shall be substituted, namely:-

“**5.2.2 Soft candy**

Products include soft, chewy products such as caramels (containing sugar syrup, fats, colour and flavour) and their dietetic counterparts; products that may or may not contain cocoa and milk (e.g. toffees and chocolate-flavoured caramels); jelly-based candies (e.g. jelly beans, jellied fruit paste covered in sugar, made from pectin, colour and flavour); and licorice. Also included are halwa, and oriental specialties, such as sweet bean jelly etc. These types of products may be used as fillings for chocolate products within the scope of food categories 5.1.3 and 5.1.4.”;

(iv) for item “5.2.3 Nougats and marzipans”, the following item shall be substituted, namely:-

“**5.2.3 Nougats and Marzipans**

Nougats consist of roasted ground nuts, sugar and cocoa and their dietetic counterparts, that may be consumed as is, or may be used as a filling for chocolate products within the scope of food categories 5.1.3 and 5.1.4. Marzipan consists of almond paste and sugar and their dietetic counterparts that may be shaped and coloured for direct consumption, or may be used as a filling for chocolate products within the scope of food categories 5.1.3 and 5.1.4.”;

(d) in food category 11.0, after item “11.1.5 Plantation or mill white sugar”, the following item shall be inserted, namely:-

**“11.1.6 Gur or Jaggery:**

means the product obtained by boiling or processing juice pressed out of sugarcane or extracted from palmyra palm, date palm or coconut palm.

**11.1.6.1 Cane Jaggery/Gur:**

means the product obtained by boiling or processing juice pressed out of or extracted from sugarcane.

**11.1.6.2 Palm Jaggery/Gur:**

means the product obtained by boiling or processing juice pressed out of or extracted from palmyra palm or coconut palm.

**11.1.6.3 Date Jaggery/Gur:**

means the product obtained by boiling or processing juice pressed out of or extracted from date palm.”;

(e) in food category 12.0,-

(i) for sub-food category “12.2 Herbs, spices, seasonings, and condiments”, the following shall be substituted, namely:-

**“12.2 Herbs, spices, seasonings, and condiments**

Spices means any form of spice including curry powders, spice oils, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant.”;

(ii) for item heading “12.2.1 Herbs and spices including masalas”, the following item heading shall be substituted, namely:-

“12.2.1 Herbs, spices, masalas, spice mixtures including oleoresins or extracts/derivatives thereof.”;

(f) in food category 15.0,-

(i) in sub-food category “15.1 Snacks- potato, cereal, flour or starch based (from roots and tubers, pulses and legumes)” for the words, brackets and figures “but excludes unsweetened crackers (category 7.1.2) such as potato chips,” the following words, brackets and figures shall be substituted, namely:-

“but excludes unsweetened crackers (category 7.1.2). Example excludes potato chips”;

(ii) in sub-food category “15.2 Processed nuts, including coated nuts and nut mixtures” for the words and figures “Chocolate-covered nuts are classified in 5.1.4, and nuts covered in imitation chocolate are included in 5.1.5” the following words and figures shall be substituted, namely:-

“Chocolate-covered nuts are classified in 5.1.3, and nuts covered in imitation chocolate are included in 5.1.4.”;

(3) under heading “IV. USE OF FOOD ADDITIVES IN FOOD PRODUCTS”,-

**(a) in Table 1, in column (1),-**

(i) in food category system 1.5.2, in column (6), for the entries “88, 36” occurring against the food additive “Phosphates”, the entries “88, 33” shall be substituted;

(ii) in food category system 1.6.2.1, in column (6), occurring against food additive “Hexamethylene tetramine” , the entries “66, 298” shall be inserted;

(iii) in food category system 1.8.2, in column (2), for the entry “Dried whey and whey products, excluding whey cheese whey powder” the following entry shall be substituted, namely:-

**“Dried whey and whey products, excluding whey cheeses”;**

**(b) in Table 2, in column (1),-**

(i) in food category system 2.2.2, in column (3), after the food additive “THIODIPROPIONATES” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted, namely :-

“Sucrose oligoesters, Type I and Type II	473a	10,000 mg/kg	348, 360
Sucrose esters of fatty acids	473	10,000 mg/kg	348, 360”;

(ii) in food category system 2.3, in column (3), after food additive “SORBATES” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted, namely :-

“Poly glycerol esters of fatty acid	475	20,000 mg/kg	363
Propylene glycol alginate	405	3,000 mg/kg	
STEAROYL LACTYLATES		3,000 mg/kg	
SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS		5,000 mg/kg	363”;

(c) in Table 3, in column (1), in food category system 3.0, in column (5), occurring against the food additive “Propylene glycol esters of fatty acids” the entry “5,000 mg/Kg” shall be inserted;

(d) in Table 4, in column (1),-

(i) in food category system 4.1.1.3,-

(A) in column (2), for the entry “Peeled or cut fresh fruits”, the entry “Peeled or cut minimally processed fruits” shall be substituted;

(B) in column (3), after food additive “Calcium Carbonate” and entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted, namely :-

“Citric acid	330	GMP	
Ascorbic acid	300	GMP”;	

(ii) in food category system 4.1.2.8, in column (3), after the food additive “Sunset yellow FCF” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted, namely :-

“SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS		5,000 mg/kg	XS314R, XS240”;
---------------------------------	--	-------------	-----------------

(iii) in food category system 4.2.1.3,-

(A) in column (2), for the entry “Peeled, cut or shredded fresh vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds” the following entry shall be substituted, namely:-



“Peeled, cut or shredded minimally processed vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera) sea weeds, nuts and seeds”);

(B) in column (3), after the food additive “Calcium Carbonate” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted, namely:-

“Citric acid	330	GMP	
Ascorbic acid	300	GMP	
Calcium ascorbate	302	GMP	
Potassium carbonate	501	GMP”;	

(iv) in food category system 4.2.2.3, in column (3), after the food additive “SULFITES” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted, namely :-

“Ferrous gluconate	579	150 mg/kg	48,23
Ferrous lactate	585	150 mg/kg	48,23”;

**(e) in Table 5, in column (1),-**

(i) in food category system 5.1, in column (2), for entry “Cocoa products and chocolate products including analogue and chocolate substitutes”, the following entry shall be substituted, namely:-

“Cocoa products and chocolate products including imitations and chocolate substitutes”;

(ii) in food category system 5.1.1, in column (3), after the food additive “L-Tartaric acid” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted, namely :-

“Polyglycerol esters of fatty acid	475	5,000 mg/kg	XS141, 97
Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid	476	5,000 mg/kg	XS141, 97
<b>SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		2,000 mg/kg	XS141, 97, 123”;

(iii) in food category system 5.1.2, in column (3), after the food additive “Sucralose (Trichlorogalactosucrose)” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted, namely :-

<b>“TARTRATES</b>		2,000 mg/kg	45
<b>TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	15”;

(iv) in food category system 5.1.3,-

(A) in column (3), after the food additive “Grape skin extract” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be omitted, namely :-

“Indigotine (indigo carmine)	132	200 mg/Kg”	
------------------------------	-----	------------	--

(B) in column (6), occurring against food additive “TBHQ” the entries “15,130,141”

shall be inserted;

(C) in column (3), after the food additive “Shellac, bleached” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be omitted, namely :-

“Polyglycerol polyricinoleate	476	5 g/Kg”	
-------------------------------	-----	---------	--

(D) in column (3), after the food additive “Sunset yellow FCF” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be omitted, namely :-

“Tertiary butylhydroquinone(TBHQ)	319	GMP	15,130,141”;
-----------------------------------	-----	-----	--------------

(E) in columns (3), for the food additive “Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be substituted , namely:-

“Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid	476	5 gm/Kg	101”;
---	-----	---------	-------

(F) in column (3), after the food additive “L-Tartaric acid” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted, namely :-

“Castor Oil	1503	350 mg/kg	
<b>TOCOPHEROLS</b>		750 mg/kg	15,168”;

(iv) in food category system 5.1.4,-

(A) in column (2), for the entry “Chocolate substitute and their products”, the entry “Imitation Chocolate, Chocolate substitute products” shall be substituted;

(B) in column (3),-

(BA) after the food additive “BENZOATES” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be omitted, namely :-

“Beeswax	901	GMP	3”
----------	-----	-----	----

(BB) for the entry “Polyglycol poly ricineolate”, the entry “Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid” shall be substituted;

(BC) after the food additive “Saffron” and the entries relating thereto, the following food additives and the entries shall be inserted, namely:-

“Polydimethyl-siloxane	900a	10mg/kg	
Polyglycerol esters of fatty acid	475	2,000mg/kg	366

Sucroglycerides	474	6,000mg/kg	348
Sucrose Oligoesters, Type-I and Type -II	473a	6,000mg/kg	348
Sucrose esters of fatty acid	473	6,000mg/kg	348
<b>TARTRATES</b>		5,000mg/kg	45
<b>TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	15”;

(v) in food category system 5.2, in column (3)-

(A) after the food additive “Sulfur dioxide” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be omitted, namely :-

“Indigotine (Indigo carmine)	132	100 mg/kg”;
------------------------------	-----	-------------

(B) after the food additive “Mineral Oil, high viscosity” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted, namely :-

“Shellac, bleached	904	GMP	3
Sucrose Oligoesters, Type-I and Type -II	473a	5,000mg/kg	348
Sucrose esters of fatty acid	473	5,000mg/kg	348”;

(vi) in food category system 5.2.1, in column (3), after the food additive “L-Tartaric acid” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted, namely :-

“Polyglycerol esters of intersterified ricinoleic acid	476	3000mg/kg”;
--	-----	-------------

(vii) in food category system 5.2.2, in column (3), after the food additive “Shellac, bleached” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted, namely :-

“Polyglycerol esters of intersterified ricinoleic acid	476	3000mg/kg”;
--	-----	-------------

(viii) in food category system 5.4, in column (3), after the food additive “Mineral Oil, high viscosity” and entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted, namely :-

“Allura Red	129	100 mg/kg	
Grape skin extract	163(ii)	500 mg/kg	181

Mineral oil, medium viscosity	905e	2,000 mg/kg	XS 86, XS 105, 3, XS 141, XS 87
Poly glycerol esters of fatty acid	475	2,000 mg/kg	368
Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid	476	5,000 mg/kg	
Propylene glycol alginate	405	5,000 mg/kg	
<b>SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		10,000 mg/kg	
<b>STEAROYL LACTYLATES</b>		2,000 mg/kg	
Sucroglycerides	474	5,000 mg/kg	348
Sucrose oligoesters, Type I and Type II	473a	5,000 mg/kg	348
Sucrose esters of fatty acids	473	5,000 mg/kg	348
<b>TARTRATES</b>		8,000 mg/kg	45
<b>TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	15”;

(f) in Table 6, in column (1),-

(i) in food category system 6.3, in column (3), after the food additive “Sunset yellow FCF” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted, namely :-

<b>“TOCOPHEROLS</b>		200 mg/kg”;
---------------------	--	-------------

(ii) in food category system 6.5, in column (4), for the entry occurring against the food additive “Fast green FCF”, the entry “143” shall be substituted.

(iii) in food category system 6.6, in column (5), occurring against the food additive “Tartaric acid”, the entry “GMP” shall be inserted;

(g) in Table 7, in column (1),-

(i) in food category system 7.1.4, in column (6), occurring against the food additive “PHOSPHATES”, for entries “229, 33, 33”, the entries “229, 33” shall be substituted;

(ii) in food category system 7.2.1, in column (3), after the food additive “Potassium iodate” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted, namely :-

<b>“STEAROYL LACTYLATES</b>		5,000 mg/kg	
-----------------------------	--	-------------	--

Poly glycerol esters of fatty acid	475	10,000 mg/kg	
<b>SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		10,000 mg/kg	
Nisin	234	6 mg/kg	233
<b>POLYOXYETHYLENE STEARATES</b>		3,000 mg/kg	
Propylene glycol	1520	1,500 mg/kg	
Sucrose oligoesters, Type I and Type II	473a	10,000 mg/kg	348
Ponceau 4R	124	50 mg/kg	
Sunset yellow FCF	110	50 mg/kg”;	

(h) in table 8, in column (1),-

(i) in food category system 8.2.2, in column (3), after the additive “Sucroglycerides” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted, namely :-

<b>“TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	XS 96, XS 97”;
---------------------	--	-----------	----------------

(ii) in food category system 8.2.3, occurring against food category “Frozen processed meat and poultry products in whole pieces or cuts”, for the entries in columns (3), (4), (5) and (6), the following entries shall be substituted, namely:-

“Mineral oil, High viscosity	905d	950 mg/kg	3
<b>PHOSPHATES</b>		2,200 mg/kg	33”;

(iii) After food category system 8.2.3, and the entries relating thereto, the following food category system and entries shall be inserted, namely:-

“Food Category system	Food Category Name	Food Additive	INS No.	Recommended Maximum level	Note
8.3	Processed comminuted meat and poultry products	Brilliant blue FCF	133	100 mg/kg	XS96, XS89, XS98, XS97, 4, 16
		Butylated hydroxyanisole (BHA)	320	200mg/kg	XS89, XS98, 130, 15
		Butylated hydroxytoluene (BHT)	321	100mg/kg	XS89, XS98, 15, 130, 162
		Caramel III - ammonia caramel	150c	GMP	XS89, XS98 XS96, XS97, 3,

					4,16
		Caramel IV - sulfite ammonia caramel	150d	GMP	XS89, XS98, XS96, XS97, 3, 4,16
		Erythrosine	127	30 mg/kg	4, 290
		Grape skin extract	163(ii)	5,000 mg/kg	XS89, XS98,16
		<b>NITRITES</b>		80 mg/kg	286, 32
		Paprika oleoresin	160c(i)	GMP	
		<b>PHOSPHATES</b>		2,200 mg/kg	33, 302
		<b>POLYSORBATES</b>		5,000 mg/kg	XS89, XS98
		<b>RIBOFLAVINS</b>		1,000 mg/kg	XS96, XS97, 16
		Propyl gallate	310	200 mg/kg	XS89, XS98, 15, 130
		Propylene glycol alginate	405	3,000 mg/kg	XS89, XS98
		<b>SORBATES</b>		1,500 mg/kg	XS89, XS98, 42
		Sodium diacetate	262(ii)	1,000 mg/kg	XS89, XS98
		<b>TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	XS 89, XS 98
		Tertiary butylhydroquinone (TBHQ)	319	100 mg/kg	XS 89, XS 98, 15, 130, 162";

(iv) in food category system 8.3.2,-

(A) in column (4), for the entry "160(ii)", occurring against the food additive "beta Carotenes, vegetable", the entry "160a(ii)" shall be substituted;

(B) in column (3), after the food additive "Sunset yellow FCF" and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted, namely:-

<b>"TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	XS 89 , XS 98";
---------------------	--	-----------	-----------------

(i) in Table 9, in column (1),-

(i) in food category system 9.2.5, in column (5), occurring against the food additive "SORBATES", the entry "1000 mg/Kg" shall be inserted;

(ii) in food category system 9.3.3, in column (4), occurring against the food additive “Ponceau 4R”, the entry “124” shall be inserted;

**(j) in Table 10, in column (1),-**

(i) in food category system 10.2.1, in column (3), the food additive “Triethyl citrate” and the corresponding entries in columns (4), (5) and (6), occurring after food additives “Tara gum” shall be omitted;

(ii) in food category system 10.2.2, in columns (3), the food additive “SORBATES” and the corresponding entries in column (4), (5) and (6), occurring after the food additives “ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES (EDTA)”, shall be omitted;

(iii) in food category system 10.4, in column (4), occurring against the food additive “Caramel III-ammonia caramel”, for the entry “150d”, the entry “150c” shall be substituted;

**(k) in Table 11, in column (1),-**

(i) for food category system 11.1.6, the following food category system shall be substituted, namely:-

<b>“11.1.6</b>	<b>Gur or Jaggery</b>	Sulfites		50 mg/Kg	Residue not to exceed 50mg/Kg in the end product”;
----------------	-----------------------	----------	--	----------	--

(ii) after food category system 11.1.6, the following food category systems shall be inserted, namely:-

<b>“Food Category System</b>	<b>Food Category Name</b>	<b>Food Additive</b>	<b>INS No.</b>	<b>Recommended Maximum level</b>	<b>Note</b>
<b>11.1.6.1</b>	<b>Cane Jaggery/Gur</b>				
<b>11.1.6.2</b>	<b>Palm Jaggery/Gur</b>				
<b>11.1.6.3</b>	<b>Date Jaggery/Gur</b>				”;

**(l) in Table 12, in column (1),-**

(i) in food category system 12.2.1, in column (2), for the entry “Herbs, spices including masalas”, the following entry shall be substituted, namely:-

**“Herbs, spices, masalas, spice mixtures including oleoresins or extracts/derivatives thereof”;**

(ii) in food category system 12.2.2, in column (3), after the food additive “Tartaric acid” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted, namely :-

“Caramel IV –sulfite ammonia caramel	150d	10,000 mg/kg	
Paprika oleoresin	160c(i)	GMP	”;

**(m) in Table 14, in column (1),-**

(i) in food category system 14.1.2.3, in column (3), the food additive “Carbon dioxide” and the corresponding entries in columns (4), (5) and (6), occurring after the food additives “Nitrogen” shall be omitted;

(ii) in food category system 14.1.3.2, in column (3), the food additive “Curcumin” and the corresponding entries in columns (4), (5) and (6), occurring after the food additive “Caramel” shall be omitted;

(iii) in food category system 14.1.4.2, in column (3), the food additive “L-Tartaric acid” and the corresponding entries in columns (4), (5) and (6), occurring after the additives “Calcium alginate” shall be omitted;

3. In the said regulations, in ANNEXURE-1, in column (1), after the group of additives ‘ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES’ and the entries relating thereto, the following group of additives and entries shall be inserted, namely:-

Group Name	Additive Name	INS No.
<b>“SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>	Sorbitan monolaurate	493
	Sorbitan monooleate	494
	Sorbitan monopalmitate	495
	Sorbitan monostearate	491
	Sorbitan tristearate	492”.

4. In the said regulations, in the Notes to the Food Additives mentioned in the Table 1 to 15, after Note No. XT102 and the entries relating thereto, the following Note No. and entries shall be inserted, namely:-

“a) XS314R : Excluding products conforming to the Standard for Date Paste

b) XS240: Excluding products conforming to the Standard for Aqueous Coconut Products

c) XS141: Excluding products conforming to the Standard for Cocoa (Cacao) Mass (Cocoa/chocolate liquor) and Cocoa Cake

d) 348: Singly or in combination: Sucrose esters of fatty acids (INS 473), sucrose oligoesters, type and type II (INS 473a) and sucroglycerides (INS 474)

e) XS 86: Excluding products conforming to the Standard for Cocoa Butter

f) XS 105: Excluding products conforming to the Standard for Cocoa Powders (Cocoas) and Dry Mixtures of Cocoa and Sugars



g) XS 87: Excluding products conforming to the Standard for Chocolate and Chocolate Products”.

5. In the said regulations, in the ANNEX TO GMP Table,-

(a) in Sr. No. 22, against category number 4.1.1.3, in column (3), for the entry “Peeled or cut fresh fruit”, the following entry shall be substituted, namely:-

“Peeled or cut, minimally processed fruit”;

(b) in Sr. No. 26, against category number 4.2.1.3, in column (3), for the entry “Peeled, cut or shredded fresh vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds” the following entry shall be substituted, namely:-

“Peeled, cut or shredded minimally processed vegetables  
(including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera) sea weeds,  
nuts and seeds”;

(c) after Sr. No. 60 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“60A	11.1.6	Gur or Jaggery
60B	11.1.6.1	Cane Jaggery/Gur
60C	11.1.6.2	Palm Jaggery/Gur
60D	11.1.6.3	Date Jaggery/Gur”.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./303/17]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and Subsequently amended vide notification numbers:

- i. F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
- ii. F.No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
- iii. F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
- iv. F.No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
- v. F.No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
- vi. F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
- vii. F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- viii. F.No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- ix. F.No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
- x. F.No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
- xi. F.No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
- xii. F.No. 1-10(1)/Standards/SP9Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
- xiii. No. 3-16/Specified Foods/Notiifcation(Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
- xiv. F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
- xv. No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
- xvi. F.No. 1-12/Stnadards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;

- xvii. F.No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
- xviii. F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
- xix. F.No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
- xx. F.No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
- xxi. F.No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
- xxii. F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
- xxiii. F.No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
- xxiv. F.No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
- xxv. F.No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
- xxvi. F.No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
- xxvii. F.No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
- xxviii. F.No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
- xxix. F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
- xxx. F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
- xxxi. F.No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;
- xxxii. F.No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;
- xxxiii. F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;
- xxxiv. F.No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017
- xxxv. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016, dated 15th September, 2017;
- xxxvi. F.No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September, 2017;
- xxxvii. File No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;
- xxxviii. F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017 and
- xxxix. F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017.